सं. : 1:05:138:I:सीएस
दिनांक : 13.07.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

विषय : (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गठन के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी का गठन पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया है:

क्र.सं.	एसपीवी का नाम	उद्देश्य
1.	सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सतारा के निकट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता (अधिकतम 4500 मेगावाट) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पश्चिमी क्षेत्र में नेटवर्क विस्तार योजना – भाग क

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीपीसी का दायित्व परियोजना की रूपरेखा तैयार करना तथा आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। इन कार्यों के निष्पादन हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया जाना आवश्यक होता है, जो पारेषण परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों, जैसे सर्वेक्षण एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा आवश्यकता होने पर वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ करना, निष्पादित करेगा।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पारेषण सेवा हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को उक्त एसपीवी का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 24.03.2026 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में अधिसूचित किया है:

तदनुसार, उपर्युक्त पारेषण योजना(ओं) के विकास हेतु पीएफसीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में उक्त एसपीवी का गठन किया गया है। बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इस एसपीवी का हस्तांतरण सफल बोलीदाता को कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता द्वारा उक्त परियोजना का विकास किया जाएगा।

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com